

13/01/2022

वादी की और से शर्चना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वादी द्वारा शर्चना पत्र में नया वाद पेश करना चाहने के कारण वाद पत्र प्रत्याहरित करने की अनुमति चाही गई है। वादी का शर्चना पत्र स्वीकार कर नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ वाद प्रत्याहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पत्रावली इसी स्तर पर फॉर्मल्य शुमार व दर्ज नम्बर से कर होडा काविल दफ्तर है।

~~कलिया~~
~~पत्रावली~~
~~शुमार~~

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

